संख्या–ए–1–434 / दस–2011 / 10(39) / 2011

प्रेषक,

डा0 बी0 एम0 जोशी,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2011

विषयः ट्रेजरी चालान एवं उसकी लेखांकन गुणवत्ता में कमी ।

महोदय,

महालेखाकार उत्तर प्रदेश के साथ सम्पन्न राज्य स्तरीय स्थाई समिति की 34वीं बैठक दिनांक 29–03–2011 में राजस्व प्राप्तियों के राजकोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

(1) चालान द्वारा धनराशियों को सीधे एजेन्सी बैंकों में जमा करते समय प्राप्ति लेखाशीर्ष सही अंकित नहीं किये जाते जिससे उक्त धनराशियों का महालेखाकार कार्यालय में सही लेखांकन नहीं हो पा रहा है । इस सम्बन्ध में विभागों को यह निर्देशित किया जाय कि चालान में सही–सही लेखाशीर्ष अंकित किया जाय ।

(2) लेखाशीर्ष 8009–सामान्य भविष्य निधि शेड्यूल के माध्यम से जो धनराशियॉं वेतन से कटौती द्वारा जमा की जांय उनमें विभागीय अनुदान का कनेक्टिंग सर्विस हेड अंकित किया जाय । इसके अतिरिक्त यदि 8009–सामान्य भविष्य निधि में जो धनराशि चालान द्वारा जमा की जांय उसमें भी कनेक्टिंग हेड की मुहर लगायी जाय ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राजस्व प्राप्तियों को जमा किये जाने वाले ट्रेजरी चालानों में बजट साहित्य खण्ड–4 में दर्शाये गये लेखाशीर्ष के अनुसार 13 डिजिट तक सही–सही प्राप्ति लेखाशीर्ष अंकित किये जाने तथा सामान्य भविष्य निधि की राशि लेखाशीर्ष 8009–सामान्य भविष्य निधि में जमा किये जाने वाले शेड्यूलों / चालानों पर

कनेक्टिंग सर्विस हेड अर्थात मुख्य लेखाशीर्ष जिसमें वेतनादि का आहरण किया जाता है, अंकित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी0 एम0 जोशी)
सचिव

संख्या–ए–1–434(1)/दस–2011/10(39)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
(5) वित्त आडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) ।

आज्ञा से,

(आर0के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।